क्रम-संख्या–32(क-3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025

फाल्गुन 9, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–9

(संस्कृत शिक्षा अनुभाग)

संख्या 257 / पन्द्रह-9–2025-25(35)-2004 टी0सी0

लखनऊ, 28 फरवरी, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0–24

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा नवीन मान्यता चाहने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रवृत्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामित्व सोसायटी / ट्रस्ट / विद्यालय के नाम पर होना अनिवार्य है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज एवं सी0बी0एस0ई आदि शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 वर्ष के रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख पर भूमि धारण करने वाली संस्थाओं (सोसायटी / ट्रस्ट / विद्यालय) को भी मान्यता प्रदान करने का उपबंध है;

और, चूंकि, उपर्युक्त के दृष्टिगत, संस्कृत विद्यालयों की संख्या बढ़ाये जाने के प्रयोजन से संस्थाओं को 30 वर्ष के रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख पर भी मान्यता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन शक्तियां और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में संशोधन करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000) की धारा 21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन, शक्तियों और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है, जिसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद
(समितियों और उप–समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2025 कही जायेगी;

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 9.06 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 9.06 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 **(विद्यमान विनियम)**	स्तम्भ–2 **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम)**
9.06 मान्यता के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से दिये जायेंगे–	9.06 मान्यता के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से दिये जायेंगे–
(क) क्या उस क्षेत्र में संस्था के लिए वास्तविक आवश्यकता है ?	(क) क्या उस क्षेत्र में संस्था के लिए वास्तविक आवश्यकता है ?
(ख) प्रबन्ध समिति के उप नियम, यदि कोई हो।	(ख) प्रबन्ध समिति के उपविधि, यदि कोई हो।
(ग) संस्था के प्रबन्धक तथा सचिव के नाम अथवा पत्र व्यवहार के लिए सशक्त किये गये व्यक्ति का नाम।	(ग) संस्था के प्रबन्धक तथा सचिव के नाम अथवा पत्र व्यवहार के लिए सशक्त किये गये व्यक्ति का नाम।
(घ) अध्यापकों की अर्हतायें एवं वेतनमान।	(घ) अध्यापकों की अर्हतायें एवं वेतनमान।
(ङ) कक्षाओं तथा छात्रावासों के स्थान की व्यवस्था।	(ङ) कक्षाओं तथा छात्रावासों के स्थान की व्यवस्था।
(च) आय के स्रोतों सहित संस्था की वित्तीय स्थिति।	(च) आय के स्रोतों सहित संस्था की वित्तीय स्थिति।
(छ) प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या।	(छ) प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या।
(ज) क्या निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिए कोई मानदण्ड है और प्रभारित किया जाने वाला शुल्क है?	(ज) क्या निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिए और प्रभारित शुल्क की धनराशि के लिए कोई मानदण्ड है?
(झ) साज–सज्जा, फर्नीचर एवं पर्याप्त पुस्तकालय के उपबन्ध।	(झ) साज–सज्जा, फर्नीचर एवं पर्याप्त पुस्तकालय के उपबन्ध।
(ञ) छात्रों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन तथा खेल के मैदान की व्यवस्था।	(ञ) छात्रों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन तथा खेल के मैदान की व्यवस्था।
(ट) परीक्षा अथवा परीक्षाओं का नाम जिनके लिए मान्यता अपेक्षित है।	(ट) परीक्षा अथवा परीक्षाओं का नाम जिनके लिए मान्यता वांछित है।
(ठ) संस्था हेतु भूमि, भवन की उपलब्धता तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीड़ास्थल का समिति या ट्रस्ट के स्वामित्वाधीन भूमि/भवन/क्रीड़ास्थल की रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी, जो राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।	(ठ) संस्था हेतु भूमि, भवन की उपलब्धता तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था साथ ही भूमि/भवन/खेल का मैदान की रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की अनुप्रमाणित छायाप्रतियां, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि भूमि/भवन/खेल के मैदान सोसायटी या ट्रस्ट के स्वामित्वाधीन हो और राजस्व अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित खतौनी अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए।

स्तम्भ–1 (विद्यमान विनियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम)
(ड) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में निहित सुरक्षा मानकों के अनुसार होना चाहिए।	विद्यालयों को मान्यता 30 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख पर भी दी जा सकती है। परन्तु यह है कि रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख सोसायटी/ट्रस्ट/विद्यालय के नाम पर होना चाहिए। पट्टा विलेख केवल विद्यालय संचालन के लिए होगी और इसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। पट्टा विलेख समाप्त होने के पूर्व संस्था/प्रबन्धन इसे निश्चित अवधि के लिए पुनः नवीकृत करवाएगा। पट्टा विलेख समाप्त होने की दशा में संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(ढ) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपस्करणों की व्यवस्था होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकार का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।	(ड) क्या विद्यालय भवन का निर्माण भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता में विहित सुरक्षा मानकों के अनुसार किया गया है? (ढ) क्या विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपस्करणों की समुचित व्यवस्था की गयी है? सक्षम प्राधिकार का प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

———————

IN Pursuance of the provision of clause (3) of Article-348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 257/XV-9-2025-25(35)-2004, T.C. dated February 28, 2025 :

No. 257/XV-9-2025-25(35)-2004 T.C.
Dated Lucknow, February 28, 2025

WHEREAS, as per the present system in force for granting recognition to the Institutions seeking new recognition by Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education, Lucknow, it is mandatory for the ownership of the land to be in the name of the society/trust/school;

AND, WHEREAS, in the Uttar Pradesh Secondary Education Council, Prayagraj and CBSE etc. Education Boards, there is a provision for also granting recognition to institutions (society/trust/school) holding land on a registered lease deed of 30 years;

AND, WHEREAS, in view of the above, for the purpose of increasing the number of Sanskrit schools, it is necessary to amend the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub-Committees) Regulations, 2012 for granting recognition to Institutions on a registered lease deed of 30 years also;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 21 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 (U.P. Act no. 32 of 2000) *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education, after obtaining the previous approval of the State Government, hereby makes the

following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub Committees) Regulations, 2012 which are hereby published as required under sub-section (1) of section 22 of the aforesaid Act:

The Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub-Committees) (Third Amendment) Regulations, 2025

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub-Committees) (Third Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

Amendment of Regulation 9.06

2. In the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub Committees) Regulations, 2012, for the existing Regulation 9.06 set out in Column-I below, the regulation as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
(Existing regulation)	*(Regulation as hereby substituted)*
09.06 For the recognition, following description in the Application Form shall be given in details:-	09.06 For recognition, the following description shall be given in the Application Form in details:-
(a) Is there a genuine need of the Institution in that Area?	(a) is there a genuine need of the Institution in that Area;
(b) The bye-laws of the Committee of management, if any.	(b) bye-laws of the Committee of management, if any;
(c) The names of Manager and Secretary of the institution or the name of the person empowered for correspondence.	(c) names of the Manager and Secretary of the Institution or the name of the person empowered for correspondence;
(d) The qualifications and pay scales of the teachers.	(d) qualifications and pay scales of the teachers;
(e) Arrangement of the place for classes and hostel.	(e) arrangement of the place for classes and hostel;
(f) Financial conditions of the Institution with sources of income.	(f) financial condition of the Institution with sources of income;
(g) Number of students in every class.	(g) number of students in every class;
(h) Is there a criterion for the entry of poor students and amount of fee charged.	(h) is there a criterion for the entry of poor students and amount of fee charged;
(i) Provision for decoration, furniture and adequate library.	(i) provision of decoration, furniture and adequate library;
(j) Arrangement for health, entertainment, discipline and playground for students.	(j) arrangement for health, entertainment, discipline and playground for students;
(k) Name of examination or examinations for which recognition to be desired.	(k) name of the examination or examinations for which recognition is desired;
(l) Availability of land, building for Institution and arrangement of place for classes along with attested photocopies of Registry (Bainama/ Danpatra) of the land/building/ playground showing that the	(l) availability of land, building for Institution and arrangement of place for classes along with attested photocopies of Registry (Bainama/Danpatra) of the land/ building/playground showing that the

COLUMN-I *(Existing regulation)*	COLUMN-II *(Regulation as hereby substituted)*
land/building/playground are owned by the society or trust and Khatauni attested by revenue officer should be attached compulsorily.	land/building/playground are owned by the society or trust and Khatauni attested by revenue officer should be attached compulsorily;
(m) Construction of the school building should be made according to the security standard prescribed in the National Building Code.	Recognition may also be given to schools on a registered lease deed for a period of 30 years: Provided that the registered lease deed shall be in the name of the society/trust/school. The lease deed shall be only for operating/running the school and it shall not be used for any other work. Before the lease deed expires, the Institution/management shall get it renewed again for a fixed period. In case of expiry of the lease deed, the recognition of the Institution shall automatically end. (m) whether the construction of the school building has been done in accordance with the security standards prescribed in the National Building Code of India (NBC);
(n) Arrangement of fire extinguisher equipment should be made in the school according to need. A certificate of competent authority should be attached.	(n) whether proper arrangement of fire extinguisher equipment has been made in the school according to need. A certificate of competent authority must be attached.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 550 राजपत्र–2025–(1468)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 माध्यमिक शिक्षा–2025–(1469)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/ऑफसेट)।